



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939  
No. 244] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 308(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 467 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची III में, शासकीय राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के प्रभाव से निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसे इसमें इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) में, अनुसूची III, प्रभाग I में, भाग I में, पैरा 6 में, खंड 'ब' के पश्चात्, "तुलनपत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“भ. प्रत्येक कंपनी तारीख 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 तक की अवधि के दौरान धारित और संव्यवहार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे का नीचे सारणी में यथाउपबंधित प्रकटीकरण करेगी :—

	एसबीएन	अन्य अभिधान नोट	कुल योग
तारीख 18.11.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			
(+) अनुज्ञाप्राप्त प्राप्तियां			
(-) अनुज्ञाप्राप्त संदाय			
(-) बैंकों में जमा की गई रकम			
तारीख 30.12.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			

**स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'विनिर्दिष्ट बैंक नोट' पद का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3407(अ) तारीख 8 नवंबर, 2016 में उपबंधित किया गया है।"

3. मूल अधिनियम में अनुसूची III, प्रभाग II में, भाग I में, पैरा 6 में, खंड 'ज' के बाद "तुलन-पत्र तैयार करने के लिए साधारण अनुदेश" शीर्षक के अधीन निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"ट. प्रत्येक कंपनी तारीख 08/11/2016 से 30/12/2016 तक की अवधि के दौरान धारित और संव्यवहार किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) के ब्यौरे का नीचे सारणी में यथा उपबंधित प्रकटीकरण करेगी :-

	एसबीएन	अन्य अभिधान नोट	कुल योग
तारीख 18.11.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			
(+) अनुज्ञाप्राप्त प्राप्तियां			
(-) अनुज्ञाप्राप्त संदाय			
(-) बैंकों में जमा की गई रकम			
तारीख 30.12.2016 को हस्तगत अंतिम नकदी			

**स्पष्टीकरण:** इस खंड के प्रयोजनों के लिए, 'विनिर्दिष्ट बैंक नोट' पद का वही अर्थ होगा जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में, आर्थिक कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 3407(अ), तारीख 8 नवंबर, 2016 में उपबंधित किया गया है।"

[फा. सं. 17/62/2015-सीएल-V (भाग I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III, तारीख 26.03.2014 की अधिसूचना का.आ. 902(अ) द्वारा तारीख 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई थी, तत्पश्चात् तारीख 04.09.2015 की सा.का.नि. संख्यांक 679(अ) और तारीख 06.04.2016 की सा.का.नि. संख्यांक 404(अ) द्वारा संशोधन किए गए।

## MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 30<sup>th</sup> March, 2017

**G.S.R. 308(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 467 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to Schedule III of the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

2. In the Companies Act, 2013 (hereinafter referred to as the principal Act), in Schedule III, in Division I, in Part I under the heading "General instructions for preparation of Balance Sheet" in paragraph 6, after clause 'W', the following clause shall be inserted namely:-

**X.** Every company shall disclose the details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period from 8<sup>th</sup> November, 2016 to 30<sup>th</sup> December, 2016 as provided in the Table below:-

	SBNs	Other denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016			
(+) Permitted receipts			

(-) Permitted payments			
(-) Amount deposited in Banks			
Closing cash in hand as on 30.12.2016			

**Explanation :** For the purposes of this clause, the term ‘Specified Bank Notes’ shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016.”.

3. In the principal Act, in Schedule III, in Division II, in Part I under the heading “General instructions for preparation of Balance Sheet” in paragraph 6, after clause ‘J’, the following clause shall be inserted namely:-

“**K.** Every company shall disclose the details of Specified Bank Notes (SBN) held and transacted during the period 08/11/2016 to 30/12/2016 as provided in the Table below:-

	SBNs	Other denomination notes	Total
Closing cash in hand as on 08.11.2016			
(+) Permitted receipts			
(-) Permitted payments			
(-) Amount deposited in Banks			
Closing cash in hand as on 30.12.2016			

**Explanation :** For the purposes of this clause, the term ‘Specified Bank Notes’ shall have the same meaning provided in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number S.O. 3407(E), dated the 8th November, 2016.”.

[F. No. 17/62/2015-CL-V (Vol.I)]

AMARDEEP S. BHATIA, Jt. Secy.

**Note :** Schedule III of the Companies Act, 2013 came into force with effect from the 1<sup>st</sup> April, 2014 *vide* Notification S.O. 902(E), dated 26.3.2014, subsequently amended *vide* G.S.R. 679(E), dated 04.09.2015 and *vide* G.S.R. 404(E), dated 06.04.2016.



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 30, 2017/चैत्र 9, 1939

No. 243]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 30, 2017/CHAITRA 9, 1939

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2017

सा.का.नि. 307(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और (2) के साथ पठित धारा 143 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

- (1) इन नियमों का नाम कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये उनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 में, खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घ) क्या कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी धृतियों और उसके साथ-साथ तारीख 08 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट संव्यवहार के विषय में अपेक्षित प्रकटीकरण किए हैं, और यदि ऐसा है तो क्या यह कंपनी द्वारा रखी गई लेखाबहियों के अनुसार है।“

[फा. सं. 1/33/2013-सीएल-V-(खंड I)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, तारीख 31 मार्च, 2014 की सा.का.नि. संख्यांक 246(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् तारीख 14 अक्टूबर, 2014 की सा.का.नि. संख्यांक 722(अ) और तारीख 14 दिसंबर, 2015 को सा.का.नि. संख्यांक 972(अ) द्वारा तत्पश्चात् संशोधित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2017

**G.S.R. 307(E).**—In exercise of powers conferred by section 143 read with sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in rule 11, after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

“(d) whether the company had provided requisite disclosures in its financial statements as to holdings as well as dealings in Specified Bank Notes during the period from 8<sup>th</sup> November, 2016 to 30<sup>th</sup> December, 2016 and if so, whether these are in accordance with the books of accounts maintained by the company.”.

[F. No. 1/33/2013-CL-V-(Vol.I)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 246(E), dated the 31st March, 2014, subsequently amended *vide* G.S.R. 722(E), dated the 14<sup>th</sup> October, 2014 and *vide* G.S.R. 972(E), dated the 14<sup>th</sup> December, 2015.